(b) whether the terrorist groups in Punjab are regaining strength and training to create panic in the State; and

(c) if so, the steps taken to curb terrorism in the State?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir. The 'Khalsa Itihasic Diary' containing pictures of 16 killed Sikh extremist leaders with laudatory couplets about their 'deeds' was published by the Dam Dami Taksal. However, this Diary has later been withdrawn.

(b) A core group of about 300 surviving militants with the leadership mainly based in Pakistan, continue their efforts to re-group and remained under pressure from Pak ISI to resume militant activities, including recruitment and training, in India. Recent inputs indicate that militant groups namely KCF(P), BKI and ISYF(R) are desperate to undertake some sensational terrorist action in India, because of constant mounting pressure of the Pak ISI.

(c) All necessary preventive steps including sharing of generated intelligence with the Sate Government are being taken. State and Central agencies have achieved some remarkable successes in solving the bomb blast cases in Punjab and neighbouring States undertaken by Punjab terrorists in the last two years. Further, they have been able to neutralize several modules of militancy by apprehending terrorists of these Punjab militant groups and several Pak-ISI agents and recovery of arms and explosives. It is because of firm policing that Pak-ISI and Punjab terrorist groups have not been able to revive terrorism in the State inspite of some terrorist incidents in the State in the last two years.

वारंटों को कार्यान्वित करने में पुलिस की शिथिलता

43. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 17 मार्च, 1988 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "पुलिस नॉट एग्जीक्यूटिंग वारंट्सः कन्ज्यूमर फोरम प्रेजीडेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजाम से लड़े क्रान्तिकारियों को पेंशन

44. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13 अगस्त, 1997 को जनसत्ता में "निजाम से लड़े क्रान्तिकारियों को 49 साल बाद भी पेंशन नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) ऐसे कितने क्रान्तिकारी बचे है, जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आशवाणी): (क) से (ग) समाचार में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:—

सरकार ने हैदराबाद स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन 1983 में हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन से संबंधित दावों की संवीक्षा करने के लिए किया था। इस स्क्रीनिंग कमेटी का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया। अब तक 7,000 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। अन्य मामलों को प्रोसेस किया जा रहा है। सरकार ने भूतपूर्व-आई.एन.ए. के कार्मिकों समेत स्वतंत्रता सेनानियों के दावों की जांच करने के लिए स्पेशल आडिट टीम का भी गठन किया था। आई.एन.ए. का एक विख्यात सदस्य भी स्पेशल आडिट टीम से सम्बद्ध है। अब तक लगभग 23,000 पूर्व-आई.एन.ए. कार्मिकों को पेंशन मंजूर की जा चुकी है। भारत की स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके पात्र आश्रितों की पेंशन राशि दिनांक 15.8.1997 से दुगनी कर दी है।